International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 4, Jul.-Aug., 2024, pp: 495-500 www.ijhssm.org

राष्ट्रपति का कार्य एवं अधिकार

पियुष कुमार
शोधार्थी
शोधार्थी राधा गोविंद विश्वविद्यालय
रामगढ़

Date of Submission: 05-07-2024 Date of Acceptance: 18-07-2024

भारत में राष्ट्रपति की भूमिका

पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने आश्वासन दिया है कि वह केवल देश की मुखिया नहीं होंगी। मेरे जिज्ञासु मन ने तुरंत पूछा कि क्या इस देश का राष्ट्रपति एक वास्तविक मुखिया है या मात्र एक व्यक्ति प्रधान है। हमारे संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से भारत को एक गणतंत्र के रूप में व्यक्त करती है। 1 एक गणतंत्र होने के नाते, राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है न कि वंशानुगत सम्राट। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रदान करता है और यह बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्रणाली के अनुसार होंगे। गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व का।

भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 52 द्वारा बनाया गया है। भारतीय संविधान में केवल दो निहित खंड हैं यानी अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 154.2 संविधान का अनुच्छेद 53 स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि "संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी . .."।

इसका तात्पर्य यह है कि संसद के पास किसी अन्य प्राधिकरण को केवल राष्ट्रपति के कार्य प्रदान करने की शक्ति है, न कि शक्तियां।

इस प्रकार, इस पत्र की सहायता से भारतीय संविधान के तहत "राष्ट्रपति की भूमिका" के बारे में सही तस्वीर सामने लाने का एक ईमानदार प्रयास किया गया है।

कार्यकारी

हमारा मुख्य सरोकार केवल 'सत्ता के पृथक्करण' की अवधारणा का समग्र रूप से अध्ययन करना ही नहीं है बल्कि इसके सूक्ष्म स्तर यानी कार्यपालिका तक जाना है। कार्यपालिका अपने महत्व की दृष्टि से सरकार का प्राथमिक और प्रमुख अंग है। कार्यपालिका सरकार की अभिव्यक्ति रही है। यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने और राज्य की नीतियों को लागू करने के अपने कार्यों का प्रदर्शन कर रहा है। सरकार की दक्षता कार्यपालिका द्वारा उसकी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन हल करता है और इसमें प्रशासन में लगे सभी अधिकारी शामिल होते हैं। हालाँकि, यह कार्यपालिका शब्द का अपने संकीर्ण अर्थ में उपयोग करने के लिए प्रथागत है जो केवल राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख और उनके सलाहकारों और मंत्रियों को संदर्भित करता है।

कार्यकारी शक्ति' शब्द का अर्थ

राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार कार्यकारी शक्ति का अर्थ उस शक्ति से है जो 'राज्य की इच्छा के निष्पादन' (गार्नर) से संबंधित है। अब, एक लोकतांत्रिक राज्य में, राज्य की इच्छा विधायिका के माध्यम से व्यक्त की जाती है। इस प्रकार, कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य विचार–विमर्श नहीं है, बल्कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना या उनका प्रशासन करना है। स्व्ज्ञम्, इस प्रकार, कार्यकारी शक्ति को "कानूनों को निष्पादित करने की शक्ति" के रूप में परिभाषित करता है

एक आधुनिक राज्य में, हालांकि, कार्यपालिका का व्यवसाय इतना सरल नहीं है जितना कि अरस्तू या यहां तक कि लॉक के दिनों में था। वास्तव में, राज्य के कार्यों के कई गुना विस्तार के कारण, सरकार का व्यवसाय, व्यापक अर्थों में, आवश्यक रूप से कार्यपालिका के हाथों में चला गया है और अब यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्यकारी शक्ति में केवल शामिल हैं कानूनों को निष्पादित करने की शक्ति।

इस प्रकार आधुनिक लेखकों ने कार्यकारी शक्तियों का अधिक व्यापक विचार दिया है। इस प्रकार, वाईन्स के अनुसारः

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 4, Jul.-Aug., 2024, pp: 495-500 www.ijhssm.org

"कार्यपालिका को राज्य के भीतर प्राधिकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कानून का संचालन करता है, सरकार के व्यवसाय को करता है और राज्य के भीतर और सुरक्षा के बिना व्यवस्था बनाए रखता है।"

इस प्रकार एक आधुनिक राज्य में व्यापक अभिव्यक्ति "कार्यकारी शक्ति" के भीतर शामिल विभिन्न शक्तियों को राजनीतिक लेखकों द्वारा निम्नलिखित शीर्षकों के तहत समूहीकृत किया गया है:

- प्रशासनिक शक्ति, यानी, कानूनों का निष्पादन और सरकार का प्रशासन।
- राजनयिक शक्ति यानी विदेशी मामलों का संचालन।
- सैन्य शक्ति यानी सशस्त्र बलों का संगठन और युद्ध का संचालन।
- विधायी शक्ति यानी, विधायिका का आह्वान, सत्रावसान, आदि, कानून की शुरुआत और उस पर सहमति और इसी तरह।
- न्यायिक शक्ति यानी, अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को क्षमा, राहत, आदि प्रदान करना।

उपरोक्त के अलावा, सामाजिक और आर्थिक कार्यों ने हाल के दिनों में सूची में प्रवेश किया है, और इस प्रकार स्थिति को हल्सबरी में सारांशित किया गया है:

"कार्यकारी कार्य व्यापक परिभाषाओं में अक्षम हैं, क्योंकि वे विधायी और न्यायिक कार्यों को हटा दिए जाने के बाद सरकार के कार्यों के अवशेष मात्र हैं। उनमें कानूनों के निष्पादन के अलावा, सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव, क्राउन संपत्ति और राष्ट्रीयकृत उद्योगों और सेवाओं का प्रबंधन, विदेश नीति की दिशा, सैन्य अभियानों का संचालन और शिक्षा, सार्वजनिक जैसी सेवाओं का प्रावधान या पर्यवेक्षण शामिल है। स्वास्थ्य, परिवहन और राज्य बीमा। "

"कार्यकारी कार्य का क्या अर्थ है और इसका क्या अर्थ है, इसकी एक विस्तृत परिभाषा तैयार करना संभव नहीं हो सकता है। आमतौर पर कार्यकारी शक्ति सरकारी कार्यों के अवशेष को दर्शाती है जो विधायी और न्यायिक कार्यों को ले जाने के बाद बनी रहती है, निश्चित रूप से, संविधान या किसी कानून के प्रावधानों के अधीन३ ..

कार्यकारी कार्य में नीति के निर्धारण के साथ–साथ इसे निष्पादन में ले जाना, व्यवस्था का रखरखाव, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, विदेश नीति की दिशा, वास्तव में राज्य के सामान्य प्रशासन को चलाना या पर्यवेक्षण करना शामिल है। ।"

अनुच्छेद 298, पद के कारण, इसमें यह भी शामिल है–

- व्यापारिक संचालन करना;
- संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान;
- किसी भी उद्देश्य के लिए अनुबंध करना।

3. राष्ट्रपति एक मात्र प्रमुख के रूप में

भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति अलग–अलग संदिग्धों से घिरी हुई है। कुछ संविधानवादियों ने राष्ट्रपति को केवल फिगर हेड या टाइटैनिक हेड या रबर स्टैम्प या गोल्डन जीरो के रूप में मांग की। राष्ट्रपति को बुलाने के कई कारण हैं जो इस प्रकार हैं:

- पहला कारण यह हो सकता है कि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, सरकार का नहीं।
- दूसरे, भारत में सरकार का राष्ट्रपति रूप नहीं है।
- तीसरा, हमारे संविधान में अभी भी ब्रिटिश परंपरा कायम है।
- आखिरी लेकिन कम से कम, राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह पर काम करता है।

हालाँकि, भारत के राष्ट्रपति के पास केवल बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करने की शक्ति नहीं है, बल्कि निम्नलिखित शक्तियाँ भी हैं, जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति की स्थिति को दर्शाती हैं।

राष्ट्रपति की शक्तियां

संविधान राष्ट्रपति को बहुत बड़ी शक्तियाँ प्रदान करता है। हालाँकि, इन शक्तियों को सरकार की संसदीय प्रणाली के आलोक में पढ़ा और व्याख्या किया जाना है जिसे संविधान के तहत अपनाया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा नीचे की गई है:

कार्यपालिका के संबंध में शक्तियां

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53(1) घोषित करता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 73 में यह प्रावधान है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। हालाँकि, यह संविधान के प्रावधानों के अधीन है। इस प्रकार, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति संसद की विधायी शक्ति के साथ सह–विस्तृत है।

संविधान के अनुच्छेद 77 की आवश्यकता है कि संघ की कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर की जाने के लिए व्यक्त की जाएगी। इस प्रकार निष्पादित आदेश और अन्य दस्तावेज राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से प्रमाणित किए जाएंगे। किसी आदेश या लिखत की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि यह राष्ट्रपति द्वारा बनाया या निष्पादित किया गया आदेश या लिखत नहीं है। राष्ट्रपति को और अधिक सुविधाजनक लेनदेन के लिए नियम बनाने का

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 4, Jul.-Aug., 2024, pp: 495-500 www.ijhssm.org

अधिकार है। भारत सरकार के कार्य और मंत्रियों के बीच उक्त कार्य के आवंटन के लिए।

कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में, राष्ट्रपति कई नियुक्तियाँ करता है। यह राष्ट्रपति है जो प्रधान मंत्री की सलाह पर प्रधान मंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को भारत के लिए अटॉर्नी–जनरल नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है।

राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार की नियुक्तियाँ करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमे शामिल हैः

- राज्य के राज्यपाल
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

राष्ट्रपति को संघ के मामलों और विधानों के सभी प्रस्तावों के बारे में सूचित करने का अधिकार है। वह प्रधान मंत्री से संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी मामले पर प्रधान मंत्री को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने की आवश्यकता कर सकते हैं, जिस पर निर्णय लिया गया है। एक मंत्री द्वारा, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है।

सैन्य शक्ति

राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। इस क्षमता में राष्ट्रपति थल सेना, नौसेना और वायु सेना प्रमुखों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद के निर्णय के तहत संसद के अनुमोदन के अधीन युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति समाप्त कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण संधियाँ और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं।

राजनयिक शक्ति

राष्ट्रपति की ओर से सभी अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत और निष्कर्ष निकाला जाता है। हालाँकि, व्यवहार में, इस तरह की बातचीत आमतौर पर प्रधान मंत्री द्वारा अपने मंत्रिमंडल (विशेषकर विदेश मंत्री) के साथ की जाती है। साथ ही, ऐसी संधियाँ संसद की स्वीकृति के अधीन होती हैं। राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां ऐसा समारोह मुख्य रूप से औपचारिक होता है। राष्ट्रपति राजदूतों और उच्चायुक्तों जैसे राजनयिकों को भी भेज और प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय शक्ति

सभी धन विधेयक संसद में उत्पन्न होते हैं, लेकिन केवल तभी जब राष्ट्रपति इसकी सिफारिश करते हैं। वह संसद के समक्ष वार्षिक बजट और अनुपूरक बजट का कारण बनता है। कोई भी धन विधेयक उसकी सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति हर पांच साल में एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है।

विधानमंडल के संबंध में शक्ति

राष्ट्रपति केंद्रीय संसद का एक घटक हिस्सा है। वह साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा में प्रतिष्ठित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामित करता है। वह लोकसभा के लिए एंग्लो–इंडियन समुदाय से संबंधित 2 व्यक्तियों को भी नामित कर सकता है, यदि उनकी राय में उस समुदाय का सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या संसद के किसी भी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाता है, जिसका निर्णय अंतिम घोषित किया जाता है।

यह राष्ट्रपति है जिसे संसद के सदनों के सत्र बुलाने की शक्ति प्राप्त है। सत्र आयोजित करने का समय और स्थान उसके द्वारा निर्धारित किया जाना है। फिर, यह राष्ट्रपति है जिसके पास संसद के सदनों के सत्रों का सत्रावसान करने की शक्ति है। राष्ट्रपति लोकसभा को पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है।

राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को या एक साथ समवेत दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, और उस प्रयोजन के लिए, उसे सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। वह संसद के किसी भी सदन को उस समय के सदन में लंबित विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं।

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और यह तभी अधिनियम बनता है जब उसकी सहमति हो। वह अपनी सहमति दे सकता है या अपनी सहमति रोक सकता है। गैर–धन विधेयक के संबंध में, वह उस पर एक संदेश के साथ सदनों द्वारा पुनर्विचार के लिए इसे वापस भी कर सकता है। नए राज्यों के गठन या क्षेत्रों, सीमाओं, या मौजूदा राज्यों के नामों के परिवर्तन का प्रावधान करने

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 4, Jul.-Aug., 2024, pp: 495-500 www.ijhssm.org

वाला एक विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल के सदनों में पेश करने के लिए उनकी सिफारिशों की आवश्यकता होती है, एक विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (वार्षिक बजट), लेखा परीक्षा रिपोर्ट, 38 वित्त आयोग की सिफारिशें, 39 और संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट रखता है।

सभी धन विधेयक और वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। भारत की संचित निधि से व्यय वाले सभी उपायों में उनकी सिफारिशें होनी चाहिए।

अध्यादेश बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 123)

अनुच्छेद 123(1) में प्रावधान है: "यदि किसी भी समय, सिवाय जब संसद के दोनों सदनों के सत्र चल रहे हों, राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं, जो उनके लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए आवश्यक हैं, तो वह ऐसे अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं जैसे कि परिस्थितियों की उसे आवश्यकता प्रतीत होती है।" राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं।

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। यह संसद की पुनः बैठक से छह सप्ताह की समाप्ति पर काम करना बंद कर देता है। हालांकि, यदि इन छह सप्ताह की समाप्ति से पहले दोनों सदनों द्वारा अध्यादेश को अस्वीकार करने वाले प्रस्तावों को पारित कर दिया जाता है, तो उस दिन से अध्यादेश का संचालन समाप्त हो जाता है, जिस दिन इन प्रस्तावों में से दूसरा पारित किया जाता है। छह सप्ताह की अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी, बाद के सदन की बैठक राष्ट्रपति उन सभी मामलों के संबंध में, जिनके संबंध में संसद कानून बनाने के लिए सक्षम है, अनुच्छेद 123(1) के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को इस प्रकार कानून बनाने की संसद की शक्ति के साथ सह–विस्तृत घोषित किया गया है। 48 हालांकि, राष्ट्रपति एक अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकते हैं जब निम्नलिखित दो शर्तें मौजूद हों:

- जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। इस प्रकार, वह अध्यादेश को तब प्रख्यापित कर सकता है जब सदन में से कोई एक सत्र में हो; तथा
- जब परिस्थिति मौजूद होती है जो राष्ट्रपति के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए आवश्यक बनाती है।

अध्यादेश अपने आप में लोकतंत्र की भावना के खिलाफ हैं और सर्वोत्तम संसदीय परंपराओं के विकास के लिए अनुकूल नहीं हैं। हालांकि, एक अप्रत्याशित और जरूरी स्थिति से निपटने के लिए अध्यादेशों को जारी करना वांछनीय माना गया है। संविधान सभा के प्रावधान को सही ठहराते हुए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा:

आपातकाल से निपटा जाना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र समाधान राष्ट्रपति को एक कानून प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करना है जो कार्यपालिका को उस विशेष स्थिति से निपटने में सक्षम करेगा क्योंकि यह कानून की सामान्य प्रक्रिया का सहारा नहीं ले सकता क्योंकि ...विधायिका सत्र में नहीं है।

आर सी कूपर बनाम भारत संघ, में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश, 1969 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि राष्ट्रपति ने परिस्थितियों की तात्कालिकता के संबंध में खुद को संतुष्ट नहीं किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि "संविधान के तहत, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, आम तौर पर अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश की घोषणा सहित सभी मामलों में कार्य करता है।" अध्यादेश राष्ट्रपति के नाम से प्रख्यापित किया जाता है, लेकिन यह वास्तव में, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर और उनकी संतुष्टि पर प्रख्यापित होता है।

यह माना गया है कि अनुच्छेद 123 के तहत पारित एक अध्यादेश विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम के समान है। इसे एक कार्यकारी कार्रवाई या एक प्रशासनिक निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है। अदालतें किसी क़ानून को पारित करने में विधायी द्वेष का अनुमान नहीं लगा सकती हैं। यह विधानमंडल के एक अधिनियम के सभी गुणों से सुसज्जित है, इसके साथ संविधान के तहत इसकी सभी घटनाएं, उन्मुक्तियां और सीमाएं हैं। एक अध्यादेश को एक माना गया है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून। जिस तरह विधानमंडल किसी मौजूदा अधिनियम को निरस्त कर सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है, उसी तरह राष्ट्रपति भी एक अध्यादेश द्वारा मौजूदा विधान को निरस्त या संशोधित कर सकता है।

आर के गर्ग बनाम भारत संघ, 55 में विशेष वाहक बांड (प्रतिरक्षा और छूट) अध्यादेश, 1981 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति से परे है क्योंकि यह कर कानूनों से संबंधित है। अध्यादेश की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने, कर कानूनों में संशोधन या परिवर्तन करने के लिए भी सक्षम थे। कोर्ट ने आगे कहा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति संसद की कानून बनाने की

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 4, Jul.-Aug., 2024, pp: 495-500 www.ijhssm.org

शक्ति के साथ सह–विस्तृत थी और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में कोई सीमा नहीं पढ़ी जा सकती। कोर्ट ने आगे बताया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य कार्यपालिका को किसी भी अप्रत्याशित या जरूरी मामलों से निपटने में सक्षम बनाना था, जिसमें कानून द्वारा बनाई गई स्थिति को अदालत द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है।

में ए.के. रॉय बनाम भारत संघ, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 में व्यक्तियों को हिरासत में लेने, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और विदेशी शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करने का प्रावधान है। अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह अस्पष्टता और मनमानी से ग्रस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कहा कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति अस्पष्टता, मनमानी, तर्कसंगतता, सार्वजनिक हितों के परीक्षणों के अधीन होगी और यह केंद्रीय संसद के अवकाश के दौरान पारित किया गया था।

डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य, में यह न्यायालय के ध्यान में लाया गया था कि 1957 और 1980 के बीच, बिहार राज्य में, 256 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया गया था और इन सभी को एक वर्ष से 14 वर्ष तक की अवधि के लिए जीवित रखा गया था। समय–समय पर पुनर्मुद्रण द्वारा। इनमें से 69 अध्यादेशों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कई बार पुनः प्रख्यापित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश बनाने की शक्ति के प्रयोग को "लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उप–संस्करण" और "सत्ता के रंगीन अभ्यास" के रूप में रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि सत्ता का ऐसा प्रयोग संविधान के साथ धोखाधड़ी है और इसलिए असंवैधानिक है। न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका संविधान के तहत विधायिका को सौंपे गए कार्यों को हड़प नहीं सकती है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बी.ए. हसनभा बनाम कर्नाटक राज्य, 59 ने ठीक ही बताया है कि चूंकि एक अध्यादेश पर विचार, पुनर्विचार, संशोधन और पुनर्रचना (जैसा कि विधायिका द्वारा कानून बनाते समय किया जाता है) के अधीन नहीं किया गया था, एक अध्यादेश की जांच एक अध्यादेश द्वारा की जानी चाहिए। उच्च स्तर की सावधानी, सावधानी और सावधानी के साथ न्यायालय।

अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग विशेष और जरूरी अवसरों पर किया जाना चाहिए। लेकिन, आजकल यह एक नियमित व्यायाम बन गया है। अध्यादेशों को विधायिका द्वारा विचार किए बिना ही प्रख्यापित और पुनः प्रख्यापित किया गया है। यह सब संसदीय लोकतंत्र का मखौल उड़ाता है और कानून के शासन का खंडन करता है।

आपातकालीन शक्ति

राष्ट्रपति निम्नलिखित तीन प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा कर सकते हैं:

राष्ट्रीय आपातकाल

राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत या उसके क्षेत्र के एक हिस्से में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण होता है।

भारत में ऐसी आपात स्थिति 1962 (भारत–चीन युद्ध), 1971 (भारत–पाकिस्तान युद्ध), 1975 से 1977 (इंदिरा गांधी द्वारा "आंतरिक अशांति" के कारण घोषित) में घोषित की गई थी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति ऐसी आपात स्थिति की घोषणा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के लिखित अनुरोध के आधार पर ही कर सकता है।

स्वतंत्रता के अधिकार के तहत छह स्वतंत्रता स्वचालित रूप से निलंबित कर दी जाती हैं। हालाँकि, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

संसद राज्य सूची के 66 विषयों पर कानून बना सकती है (जिसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं)। साथ ही, सभी धन विधेयकों को संसद की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। लोकसभा की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि घोषित आपातकाल की समाप्ति के बाद संसद के कार्यकाल को छह महीने से आगे बढ़ाया जा सके।

संदर्भ सूची :

1 डॉ. मृणमाया, चौधरी 'ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम', (1995), नागापुरः डैटसन्स।
2 डॉ. सुभाष सी कश्यप, 'भारत के संविधान का निर्माणः एक अध्ययन', (दूसरा संस्करण), (2002) कोलकाताः पूर्वी लॉ हाउस।
3 डॉ. जनक राज जय, "मृत्यु दंड पर क्षमादान की राष्ट्रपति शक्तियाँ," (2006), नई दिल्लीः रीजेंसी प्रकाशन।
4 दुर्गा दास बसु, "भारत के संविधान पर टिप्पणी, (8 वां संस्करण), खंड 4, (2008) नागापुरः लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा।

5 दुर्गा दास बसु, 'तुलनात्मक संवैधानिक कानून' (दूसरा संस्करण), (2008), नागपुरः वाधवा एंड कंपनी।

6 ई.सी.एस. वेड एंड जी। गॉडफ्रे फिलिप्स, 'संवैधानिक कानून', (5 वां संस्करण), (1995), लंदनः लॉन्गमैन्स, ग्रीस एंड कंपनी।